न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 156/2022(GCMS : 2022/226)

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जिसका पंजिकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई, चेन्नई–600002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय–होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर–3020019 राज. में स्थित व कार्यरत है।

बनाम

1. **श्री गोपाल सिंह** पुत्र श्री रतन सिंह पता वार्ड नं. 4, 4 बी बडी, शंकर नाहर पक्की, जिला श्रीगंगानगरः–335901, राजस्थान
2. **श्रीमती निहालो बाई** पत्नी श्री चन्दी सिंह पता वार्ड नं. 4, 4 बी बडी, शंकर नाहर पक्की, जिला श्रीगंगानगरः–335901, राजस्थान
3. **श्री हरजिन्द्र सिंह** पुत्र श्री गोपाल सिंह पता वार्ड नं. 4, 4 बी बडी, शंकर नाहर पक्की, जिला श्रीगंगानगरः–335901, राजस्थान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता महादेव प्रसाद मिढा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 12.09.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण गोपाल सिंह, निहालो बाई एवं हरजिन्द्र सिंह को ऋण सुविधा के रूप में राशि 4.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) का ऋण दिनांक 26.11.2019 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गोपाल सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा संख्या 23(क्षेत्रफल 1540 वर्गफीट), ग्राम पक्की, तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण गोपाल सिंह, निहालो बाई एवं हरजिन्द्र सिंह को 4.00/– लाख रूपये** के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 26.11.2019 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गोपाल सिंह ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अपनी अचल सम्पति आवासीय पट्टा संख्या 23(क्षेत्रफल 1540 वर्गफीट), ग्राम पक्की, तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 10.03.2022 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 01.04.2022** को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 05.04.2022 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध **है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी गोपाल सिंह की अचल **सम्पत्ति आवासीय पट्टा संख्या 23(क्षेत्रफल 1540 वर्गफीट), ग्राम पक्की, तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) **जारी** नोटिस 01.04.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 01.04.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थी **को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 05.04.2022 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी गोपाल सिंह के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **गोपाल सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा संख्या 23(क्षेत्रफल 1540 वर्गफीट), ग्राम पक्की, तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.08.22 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर